

कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

ग्राम-मूण्डला, पो.-रूपवास, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर, राजस्थान- 302027

Email ID - secretaryapj@gmail.com

Govt. Mail Id.: ambedkarfoundation@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक :एफ 2(3)अ.पी.ज./लेखा/उद्यान/2024-2025/ 423 दिनांक: 12/02/2025
खुली-निविदा सूचना संख्या. 02/2025-26

UNB Code- AFD2425SSOB00002
NIB Code- AFD2425A0002

कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ), मूण्डला, जयपुर के कार्यालय परिसर एवं हॉस्टल परिसर में पेड़ पौधों, वृक्षों, उद्यान का रख-रखाव हेतु अनुभवी फर्मों से सीलबंद लिफाफे में निम्नानुसार खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

| | | |
|---|--|---|
| 1 | कार्य का नाम | कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ), मूण्डला, जयपुर के कार्यालय परिसर एवं हॉस्टल परिसर में पेड़ पौधों, वृक्षों, उद्यान का रख-रखाव हेतु। |
| 2 | निविदा प्रपत्र शुल्क सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ), मूण्डला, जयपुर के नाम डी.डी.। | रु 500/- |
| 3 | अनुबंध अवधि | 1 वर्ष (01 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026) |
| 4 | बिड सिक्योरिटी राशि | 10000/रु- चालान द्वारा अम्बेडकर पीठ के पी. डी. खाता सं. 4011 के बजट मद 2225-01-789-(24)-(02) सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि) (12-गैर संवेतन) में जमा कराया जाकर चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें। |
| 5 | निविदा प्रपत्र बेचने की तिथि | दिनांक 18.02.2025 प्रातः 11.00 बजे से 27.02.2025 प्रातः 11.00 बजे तक |
| 6 | निविदा जमा कराने की अंतिम की तिथि | दिनांक 27.02.2025 दोपहर 01.00 बजे तक |
| 7 | निविदा खोलने की दिनांक | दिनांक 27.02.2025 दोपहर 03.00 बजे तक |
| 8 | निविदा की अनुमानित लागत | 3.50 लाख |

टेण्डर फार्म विभागीय वेबसाईट www.ambedkarfoundationjaipur.in एवं sppp पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

सचिव
डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन
(अम्बेडकर पीठ)
Digitally signed by Sunil Meena
Designation: Secretary
Date: 2025.02.12/15:54:30 IST
Reason: Approved





राजस्थान सरकार

कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

ग्राम-मूण्डला, पो.-रूपवास, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर, राजस्थान- 302027

Email ID:- secretaryapj@gmail.com

Govt. Mail Id.: ambedkarfoundation@RAJASTHAN.GOV.IN

खुली-निविदा

कार्य का नाम :- कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ), मूण्डला, जयपुर कार्यालय परिसर एवं हॉस्टल परिसर में पेड़ पौधों, वृक्षों, उद्यान का रख-रखाव एवं अन्य कार्य खुली निविदा की शर्तों के अनुरूप।

| क्र. सं. | कार्य की प्रकृति | कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या | श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (26 दिन) | सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर | EPF दर प्रतिशत | ESI दर प्रतिशत | सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि | कुल राशि |
|----------|------------------|--|---|---|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | बागवानी | कुशल - 03 बागवान | रु. 309/- प्रतिदिन | | 13 प्रतिशत | 3.25 प्रतिशत | | |
| | | | | | | | | |

नोट:-

1. कॉलम संख्या 5, 8 व 9 निविदादाता द्वारा भरे जाने है।
2. न्यूनतम मजदूरी दर, ई.पी.एफ. ई.एस.आई. की दरों में सरकार द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार भुगतान देय होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय नाम व पूरा पता व मोहर

सचिव

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन
(अम्बेडकर पीठ), मूण्डला, (जयपुर)



निविदा एवं संविदा की शर्तें

नोट :- निविदाकार को निविदा में अपनी दरें प्रस्तुत करते समय इन शर्तों को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए।

सामान्य शर्तें:-

1. निविदादाता को निविदा भरकर मुहरबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत करनी होगी। विड सिक्योरिटी संबंधी अभिलेख/प्रमाणन अनिवार्य रूप से निविदा के साथ संलग्न करें।
2. निविदादाता को निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 500/- रु. का डी.डी. (लिफाफे के अन्दर नहीं) लिफाफे के साथ अलग से पीठ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें शब्दों के साथ अंकों में अवश्य लिखनी चाहिये। निविदा स्याही से ही भरी जानी चाहिए। निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन, अमानत राशि का विवरण भी दिया जाना आवश्यक है।
4. जिस कार्य के लिए निविदा दी जा रही है वास्तव में निविदादाता वह ही व्यवसाय/कार्य कर रहे हों, दी जानी चाहिये। फर्म का पंजीकरण होना आवश्यक है।
5. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके किसी भी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
6. अनुबन्ध एक वर्ष के लिए वैध होगा। कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में आपसी सहमति से नियमानुसार अनुबंध में वृद्धि की जा सकती है।
7. निविदाकार को निविदा और करार की शर्तों और प्रतिबंधों की स्वीकृति हेतु निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में अपने हस्ताक्षर करने चाहिये।
8. सफल निविदाकार को जमानत के रूप में वार्षिक अनुबंध राशि के मूल्य की 2.5 प्रतिशत राशि पीठ कार्यालय से सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित समय में जमा करानी होगी। प्रतिभूति की रकम समस्त एग्रीड ठेके के पूर्ण होने की तारीख से 2 माह पश्चात मागने पर लौटा दी जायेगी। ऐसी प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर स्टाम्प लगाने के व्ययों का संदाय ठेकेदार करेगा और पीठ को स्टाम्प लगे हुए निष्पादित करार की एक प्रति निःशुल्क दी जायेगी। यदि निविदाकार प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने या निहित कालावधि में करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो निबन्धकों तथा शर्तों को भंग माना जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। निबन्धकों तथा शर्तों को भंग करने पर एवं ठेके को संतोषप्रद ढंग से पूरा नहीं करने पर प्रतिभूति राशि विभाग द्वारा पूर्णतः या अंशतः जब्त कर ली जायेगी।
9. यदि अनुबंधकर्ता विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य संतोषजनक न कर पाये तो विभागीय अधिकारी को यह हक होगा कि अनुबंधकर्ता को सूचना दिए बिना निविदाकार के लागत में और उसकी जोखिम में कार्य करावें। अनुबंधकर्ता के विफल रहने के कारण पीठ को होने वाली हानि या नुकसान की भरपाई करने का उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा परन्तु अनुबंधकर्ता को फलस्वरूप किए गए कार्य के होने वाले लाभ का अधिकार नहीं होगा। ऐसी हानियां या नुकसान की वसूली निविदाकार को सरकार के साथ किए गए इस संविदा के अधीन देय राशि में से वसूली कर ली जायेगी।

10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम निविदा ही हो। किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सचिव अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जयपुर का सुरक्षित है।
11. किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा।
12. ठेकेदार द्वारा उद्यान संधारण कार्य के लिए तीन बागवान लगाये जायेंगे जो रविवार अवकाश सहित समस्त अवकाशों में उद्यान संधारण का कार्य सम्पादित करेंगे। उनके नाम, पूरा पता व नेक चलनी का प्रमाण पत्र विभाग को उसके लगाने से पूर्व ही प्रस्तुत करना होगा तथा इस बागवानों की किसी भी गतिविधि के लिए ठेकेदार स्वयं दत्तरदायी होगा। प्रत्येक कर्मी को अनुबन्धकर्ता द्वारा परिचय पत्र मय फोटो उपलब्ध कराना होगा।
13. अनुबन्ध के अन्तर्गत किए गए कार्य का भुगतान कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में ही मासिक आधार पर नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं दिया जायेगा।
14. उद्यान संधारण एवं पेड़-पौधों का उच्च स्तरीय रख-रखाव करना होगा।
15. उद्यान में समय-समय पर घास की लगाई, निराई व कटाई ठेकेदार को करवानी होगी। घास की कटिंग के लिए इलेक्ट्रिक मशीन का उपयोग किया जायेगा।
16. ऋतु अनुसार विभिन्न प्रकार की फूलवारी की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी पड़ेगी। गर्मियों में पानी का छिड़काव प्रातः एवं सायंकाल को ही करवाना होगा। काम में लिये जाने वाले उपकरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
17. ठेकेदार के कर्मियों द्वारा पीठ परिसर में धूम्रपान/मादक द्रव्यों का सेवन करना वर्जित होगा। ठेकेदार द्वारा जो भी कर्मी पीठ में तैनात किये जायेंगे वे मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो एवं 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक आयु का न हो तथा उपरोक्त कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त हो व उनका पूर्ववत अच्छा हो।
18. पेड़ों व पौधों के नष्ट, चौरी अथवा अन्य प्रकार से क्षय होने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। पेड़-पौधों के नष्ट होने पर ठेकेदार को अपनी स्तर पर इन्हें परिवर्तित करवाना होगा।
19. उपरोक्त शर्तों के अलावा निविदा में निविदादाता की किसी भी अन्य शर्त पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा विरुद्ध शर्तों की निविदा विचार योग्य नहीं होगी।
20. दरों की वैधता निविदा खोलने की तिथि से 3 माह तक रहेगी।
21. फर्म की जिम्मेदारी/दायित्व वेतन का भुगतान बोनस ग्रेज्यूएटी अवकाश इत्यादि, भविष्य निधि एक्ट, ई.एस.आई. एक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, (रैगुलेशन एण्ड एवोलेशन एक्ट 1970) अन्य कानून जो कि समय-समय पर लागू हो को कान्ट्रैक्ट लेबर पर लागू होंगे। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
22. फर्म द्वारा नियुक्त कार्मिक को विभाग में नियमित नियुक्ति, भुगतान दावा इत्यादि का अधिकारी नहीं होगा। फर्म उक्त सभी क्लेम की उत्तरदायी होगी।
23. फर्म को सभी नियमों एवं कानून जो भी लागू हो मानने के लिए बाध्य होगी तथा पी.एफ. ई. एस.आई., बोनस, न्यूनतम मजदूरी, अनुबन्धित श्रमिक एवं अन्य स्थितियां जो कि कानून द्वारा लागू हो, के लिए सम्बन्धित फर्म की जिम्मेदारी होगी। यह कार्यालय उपरोक्त के लिए किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।
24. दो या अधिक फर्मों की दरें समान पाये जाने पर अम्बेडकर पीठ में कार्य करने का अनुभव रखने वाली फर्म को वरियता दी जा सकती है।



25. मैन पावर के नियोजन की दरें राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दरें स्वीकार्य नहीं होगी। भविष्य में न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि होने पर तदानुसार दरों में वृद्धि होगी।
26. इस निविदा प्रक्रिया के अध्ययनीन अनुबंध अवधि 1 मार्च, 2025 से एक वर्ष हेतु प्रभावी होगी। सफल निविदादाता को कार्य आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 7 दिवस में अनुबंध निष्पादन करवाना सुनिश्चित करना होगा।
27. निविदा दस्तावेज दिनांक 18.02.2025 प्रातः 11.00 बजे से 27.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ), मूण्डला, जयपुर से प्राप्त किया जा सकता है।

मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने हेतु बाध्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम व पूरा पता मय मोहर



सचिव
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन
(अम्बेडकर पीठ), मूण्डला, जयपुर